रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 1996 (अग्रहायण 23, 1918)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 1996 (AGRAHAYANA 23, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III - खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

इण्डियन बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

कार्मिक विभाग

मद्रास-600001, दिनांक 22 नवम्बर 1996

सं. एस आर सी/47/96—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा(2) को साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ इण्डियन बैंक का निदेशक मंडल एतद्द्वारा इण्डियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :

(1) इन विनियमों को इण्डियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 1996 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. इण्डियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 (जिन्हें इसके बाद मूल्य विनियम कहा जाएगा) के विनियम 4 में खण्ड (घ) के बाद शीर्ष "लघु शास्तियों" के अंतर्गत निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

(क) "(ङ) 3 वर्ष से अधिक न होनेवाली अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना तथा उनके पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए काल-वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत किया जाना ।"

(ख) शीर्ष "बड़ी शास्तियों" के अंतर्गत खण्ड (ङ), (च) (छ) और (ज) को (छ), (ज), (झ) और (ञ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

(ग) पुनः संख्यांकित खण्ड (छ) के पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"(च) उपर्युक्त (ङ) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए काल-वेतनमान में

निम्नतर प्रक्रम पर आगे के ऐसे निदेशों के साथ अवनत किया जाना कि अधिकारी ऐसे अवनत किये जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और यह कि ऐसी अवधि की समाप्ति पर अवनत किए जाने से उनकी भविष्य वेतनवृद्धियां मुल्तवी की जाएंगी या नहीं" ।

(ख) पुनः संख्यांकित खण्ड (ज) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(छ) "पद के निम्नतर ग्रेड पर अवनत किया जाना" ।

3. मुख्य विनियम के विनियम 6 के उप-विनियम (1) में "विनियम 4 के खण्ड (ङ), (च), (छ), घ (ज) के शब्दों, कोष्ठकों तथा आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ)" के शब्द, कोष्ठक तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं ।

4. मुख्य विनियम के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में विनियम 4 के खण्ड (क) से (घ) तक "शब्दों, कोष्ठकों तथा आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खण्ड (क) से (ङ) तक शब्द, कोष्ठक तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं ।"

5. मुख्य विनियम के विनियम 17 के उप-विनियम (2) के प्रथम परन्तुक में "विनियम 4 के खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज)" शब्दों, कोष्ठकों तथा आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज) (झ) और (ञ)" शब्द कोष्ठक, तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं ।

6. मुख्य विनियम के विनियम 18 के प्रथम परन्तुक में "विनियम 4 के खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज)" शब्दों, कोष्ठकों तथा आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) (ञ)" शब्द, कोष्ठक तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं ।

नोट : इण्डियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील के पूर्व संशोधन भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
	19	13-5-89

कृते इण्डियन बैंक
वी. आर. शंकर
सहायक महा प्रबंधक

सं. एस. आर. सी./221/96—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ इण्डियन बैंक का निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :

(1) इन विनियमों को इण्डियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1996 कहा जायेगा ।

(2) इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. इण्डियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिन्हें इसके बाद मुख्य विनियम कहा गया है) विनियम 4 के लिए निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्—

4. (1) 01-11-87 को या उस तारीख से प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्न प्रकार होंगे :—

(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान VII 6400-150-7000/- रु.

वेतनमान VI 5950-150-6550/- रु.

(ख) ज्येष्ठ प्रबंधन ग्रेड :

वेतनमान V 5350-150-5950/- रु.

वेतनमान IV 4520-130-4910-140-5050-150-5350/- रु.

(ग) मध्यम प्रबंधन ग्रेड :

वेतनमान III 4020-120-4260-130-4910/-रु

वेतनमान II 3060-120-4260-130-4390/- रु.

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :

वेतनमान I 2100-120-4020/- रु.

(2) 01-07-1993 को या उस तारीख से प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्न प्रकार संशोधित होंगे :—

(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान VII 12650-300-13250-350-13600 400-1400/- रु.

वेतनमान VI 11450-300-12650/- रु.

(ख) ज्येष्ठ प्रबंधन ग्रेड :

वेतनमान V 10450-250-11450/- रु.

वेतनमान IV 8970-230-9200-250-10450/- रुपये

(ग) मध्यम प्रबंधन ग्रेड :

वेतनमान III 8050-230-9200-250-9700/- रुपये

वेतनमान II 6210-230-8740/- रुपये

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :

वेतनमान I 4250-230-4940-350-5290-230-8050/- रुपये

4. (3) उप-विनियम (1) और (2) में किसी बात को इन सभी ग्रेडों में कार्यरत अधिकारियों को बैंक के सभी समय पर रखने की अपेक्षा के रूप में नहीं किया जाएगा ।

3. मुख्य विनियमों में विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :—

5. (1) विनियम 4(2) के प्रावधानों के अध्यधीन 1-11-92 को और उस तारीख से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप-खण्डों के अध्यधीन मंजूर की जाएंगी :

(क) विनियम 4 में उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन रहते हुए, वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होगी और वह उस मास की पहली तारीख को प्रदान की जाएगी जिसमें वह देय होती है ।

(ख) वेतनमान 1 और 2 में रहे अधिकारियों को उनके संबंधित वेतनमानों में अधिकतम तक पहुंचने के 1 वर्ष के बाद अगले उच्च वेतनमान में रुद्धता वेतनवृद्धि(यों) सहित मात्र नीचे (ग) में निर्दिष्टानुसार सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षता अवरोध पार करने पर आगे वेतनवृद्धियां मंजूर की जाएंगी ।

(ग) ऊपर (ख) में संदर्भित अधिकारियों को शामिल करते हुए वे अधिकारी जोकि मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान 2 और 3 में अधिकतम पहुंच गए हैं, को वेतनमान 2 या 3 का अंतिम स्तर, जैसा भी मामला हो, तक पहुंचने के बाद सेवा के हर पूर्ण तीन वर्षों के लिए, वेतनमान 2 के अंतिम स्तर में रहे अधिकारी अधिकतम रु. 230/- की दो वेतनवृद्धियां और वेतनमान 3 में रहे अधिकारी अधिकतम रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि के अध्यधीन, रुद्धता वेतनवृद्धियां प्राप्त कर सकते हैं ।

यह भी प्रावधान है कि 1-11-94 को और 1-11-94 से स्केल 3 के अधिकारी अर्थात जो स्केल 3 में भर्ती/पदोन्नत किए जाते हैं, पहली स्टेगनेशन वेतनवृद्धि मिल जाने के तीन साल बाद दूसरी स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो जाएंगे ।

नोट : अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों के दिए जाने को पदोन्नति नहीं माना जाएगा । ऐसी वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के बाद भी उन्हें ऐसे ही प्राधिकार, अनुलाभ, कार्यभार, जिम्मेदारियां अथवा पद प्राप्त होंगे जैसा कि वेतनमान 1 या 2 में जैसा भी मामला हो, अर्थशेष हों ।

5. (2) नियत तारीख के बाद भारतीय बैंकर संस्थान की सी ए आई आई बी परीक्षा का प्रत्येक भाग पास करने पर उस वेतनमान में एक-एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1 : नियत तारीख से पहले भारतीय बैंकर संस्थान की सी ए आई आई बी परीक्षा के भाग 1 या भाग 2 पास करने वाले अधिकारी के मामले में अतिरिक्त वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियां, यथा स्थिति, नियत तारीख से दी जाएंगी बशर्ते उसे पहले कोई वेतनवृद्धि न मिली हो या उक्त परीक्षा के दोनों भाग पास करने पर केवल एक वेतनवृद्धि मिली हो ।

स्पष्टीकरण 2 : (क) 01-11-1987 को और उस तारीख से अधिकारी, जोकि वेतनमान में अधिकतम तक पहुंचे हों या पहुंच चुके हों और जोकि पदोन्नति के सिवाए आगे नहीं बढ़ सकते हों, को सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों, यदि कोई हों, के अधीन सी ए आई आई बी परीक्षा पास करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के बदले व्यावसायिक योग्यता भत्ता (प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलावेंस) निम्नानुसार मंजूर किया जा सकता है :—

जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० का मात्र 1 पास किया हो	(1) एक वर्ष के बाद रु० 100— प्र० मा० जिस से रु० 75— पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिकलित किया जाएगा ।
जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग पास किए हों	(1) एक वर्ष के बाद रु० 100— प्र० मा० जिसमें से रु० 75— पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिकलित किया जाएगा । (2) दो वर्षों के बाद रु० 250— प्र० मा० जिसमें से रु० 200— पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिकलित किया जाएगा ।

(ख) 1-11-1994 को और 1-11-1994 से अन्य बातें समान होने पर, प्रोफेशनल योग्यता भत्ते की राशि में निम्नवत संशोधन किया गया है :—

जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० का मात्र भाग 1 पास किया हो	(1) उस स्केल में अधिकतम वेतनमान पर पहुंच जाने के एक साल बाद 120— रु० प्रति मास
जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग पास किए हों	(1) उस स्केल में अधिकतम वेतनमान पर पहुंच जाने के एक साल बाद 120— रु० प्रति मास (2) उस स्केल में अधिकतम वेतनमान पर पहुंच जाने के दो साल बाद 300— रु० प्रति मास

परन्तु जो अधिकारी विनियम 5(3) (ख) के अनुसार निश्चित पर्सनल भत्ता लेने के लिए पात्र हैं उन्हें भाग 1 और 2, यथा-स्थिति, के लिए प्रोफेशनल योग्यता भत्ता निश्चित पर्सनल भत्ते की प्राप्ति के क्रमशः एक/दो साल बाद मिलेगा ।

नोट :

(1) यदि ऐसा कोई अधिकारी जो व्यावसायिक योग्यता भत्ता ले रहा हो, को अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया जाए, तो उसे ऐसे उच्च वेतनमान में फिटमेंट पर सी ए आई आई बी पास करने के कारण अतिरिक्त वेतनवृद्धि(यां) मंजूर की जाएंगी जिस सीमा तक अगले वेतनमान में वेतनवृद्धियां हैं और यदि कोई वेतनवृद्धि नहीं है या एक ही वेतनवृद्धि है तो वेतनवृद्धि(यों) के बदले अधिकारी को व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त करने की अर्हता होगी ।

(2) 1-11-1994 को और 1-11-1994 से संशोधित प्रोफेशनल योग्यता भत्ते पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और सेवानिवृत्ति फायदे भी मिलेंगे ।

3. (क) 01 नवम्बर, 1993 को बैंक की स्थाई सेवा में रहने वाले सभी अधिकारियों को उस वेतनमान में एक अगाऊ वेतनवृद्धि मिलेगी । जो अधिकारी 01 नवम्बर, 1993 को प्रोबेशन पर हैं उन्हें एक अगाऊ वेतनवृद्धि पक्का हो जाने के बाद मिलेगी ।

नोट : अगाऊ वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) जो अधिकारी 01 नवम्बर, 1993 को उस स्केल में अधिकतम वेतनमान पर पहुंच गया है या जिसे स्टेगनेशन वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) मिल गई है/हैं उसे 01 नवम्बर, 1993 से निश्चित पर्सनल भत्ता मिलेगा जिसकी राशि उतनी होगी जो प्राप्त अंतिम वेतनवृद्धि और उस पर 01 नवम्बर, 1993 को देय महंगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दर पर मकान किराया भत्ता जोड़ने में बनती है । मकान किराया भत्ते यदि कोई हों, के साथ नीचे दिया गया निश्चित पर्सनल भत्ता सेवा की पूर्ण अवधि में उतना ही रहेगा ।

वेतनवृद्धि संघटक	1-11-93 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक आवास प्रदान किया गया हो, वहां देय कुल निश्चित पर्सनल भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
रु०	रु०	रु०
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

नोट :

(1) ऊपर (ग) में दर्शाए गए अनुसार निश्चित पर्सनल भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें बैंक का आवास मिला हुआ है ।

(2) जो अधिकारी मकान किराया भत्ते के लिए पात्र हों उन्हें निश्चित पर्सनल भत्ता इस प्रकार मिलेगा क + ख + विनियम 4 के उप विनियम (2) में स्पष्ट किए गए अनुसार संबंधित वेतनमान में प्राप्त अंतिम वेतनवृद्धि के समय संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया मकान किराया भत्ता ।

(3) यदि निश्चित पर्सनल भत्ता प्राप्ति के वर्ष के दौरान कोई प्रोफेशनल योग्यता भत्ता देय हो, तो वह उससे अगले वर्ष दिया जाएगा ।

(4) निश्चित पर्सनल भत्ते के वेतनवृद्धि कम्पोनेंट पर सेवानिवृत्ति फायदे मिलेंगे ।

(घ) जिस अधिकारी को यह अगाऊ वेतनवृद्धि मिली है उसे ऊपर (ख) में बताए गए अनुसार निश्चित पर्सनल भत्ते की राशि उस स्केल में अधिकतम वेतनमान पर पहुंच जाने के एक वर्ष बाद मिलेगी ।

4. मुख्य विनियमों में विनियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्—

21. 1. 1-11-1987 को और उस तारीख से महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :

(1) अखिल भारतीय कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के त्रैमासिक औसत में 600 बिन्दुओं के बाद हुए प्रति 4 बिन्दुओं की बढ़ोतरी या घटौती पर महंगाई भत्ता देय होगा ।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

(क) 2500/- रु. तक वेतन का 0.67%, प्लस,

(ख) 2500/- रु. से ऊपर 4000/- रु. तक वेतन का 0.55%, प्लस,

(ग) 4000/- रु. से ऊपर 4260/- रु. तक वेतन का 0.33%, प्लस,

(घ) 4260/- रु. से ऊपर वेतन का 0.17%,

2. 1-7-1993 को और उस तारीख से मंहगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगा :

(1) अखिल भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के त्रैमासिक औसत में 1148 बिन्दुओं के बाद हुए प्रति 4 बिन्दुओं की बढ़ोतरी या घटौती पर मंहगाई भत्ता दर होगा ।

(2) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

(क) 4800/- रु. तक वेतन का 0.35%, प्लस,

(ख) 4800/- रु. से ऊपर 7700/- रु. तक वेतन का 0.29%, प्लस,

(ग) 7700/- रु. से ऊपर 8200/- रु. तक वेतन का 0.17%, प्लस,

(घ) 8200/- रु. से ऊपर वेतन का 0.09%

नोट : (1) मंहगाई भत्ते के प्रयोजन से "वेतन" का अभिप्राय है स्टेगनेशन वेतनवृद्धियों समेत मूल वेतन

(2) प्रोफेशनल योग्यता भत्ते पर मंहगाई भत्ता 1-11-94 से मिलेगा ।

5. मुख्य विनियमों में विनियम 22 उप विनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्—

22. (1) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान दिया जाता है वहां, 1-11-1994 को और उस तारीख से उस अधिकारी से उस वेतनमान के जिसमें वह रखा गया है, पहले चरण के वेतन के 4% की समान राशि या निवास स्थान के लिए मानक किराया इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।

(2) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान नहीं दिया जाता है वहां 1-11-1994 को और उस तारीख से वह अधिकारी निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ते का पात्र होगा ।

कालम 1	कालम 2
जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित है	देय मकान किराया भत्ता
(1) प्रधान "क" वर्ग के शहर जो समय-समय पर सरकार मार्ग दर्शनों के अनुसार उस प्रकार निर्दिष्ट किए जाते हैं तथा ग्रुप "क" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 13 प्रतिशत प्रति माह
(2) क्षेत्र 1 अन्य स्थान और ग्रुप "ख" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 12 प्रतिशत प्रति माह
(3) क्षेत्र 2 और राज्यों के प्रधान नगर और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान नगर जो उपर्युक्त मद (1) (2) के अन्तर्गत नहीं आते	मूल वेतन का 10 1/2 प्रतिशत प्रति माह
(4) क्षेत्र 3	मूल वेतन का 9 1/2 प्रतिशत प्रति माह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे मकान किराया भत्ता उसके वेतनमान के प्रथम स्टेज के 4% से ऊपर, वास्तविक प्रदत्त किराया या ऊपर कालम 2 के अनुसार 150% मकान किराया भत्ता, जो भी कम हो, दिया जाएगा ।

नोट :

(1) मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ वेतन से तात्पर्य मूल वेतन से है जिसमें 1-7-1993 से संशोधित वेतनमान के अनुरूप स्टैगनेशन वेतनवृद्धि शामिल है ।

(2) 1-11-1994 से प्रोफेशनल योग्यता भत्ते पर मकान किराया भत्ता भी मिलेगा ।

6. मुख्य विनियमों में विनियम 23 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्—

23(1) 01-11-1993 को और उस तारीख से यदि वह नीचे कालम 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवा कर रहा हो तो उसे उस स्थान के लिए कालम 2 में उल्लिखित दर के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा ।

स्थान	दरें
1	2
(क) क्षेत्र 1 के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4 1/2%, जो 335/- रुपए प्रति माह की अधिकतम राशि के अध्यधीन हो।
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जन संख्या वाले स्थानों और राज्यों की राजधानियों और चण्डीगढ़, पांडिचेरी पोर्ट ब्लेयर जो कि ऊपर (क) द्वारा कवर न किए गए हैं।	मूल वेतन का 3 1/2%, जो 230 रुपए प्रति माह की अधिकतम राशि के अध्यधीन हो।

7. मुख्य विनियमों में विनियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्—

24. (1) प्रत्येक अधिकारी अपनी और अपने कुटुम्ब की बाबत अपने द्वारा वास्तव में उपगत चिकित्सीय व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्—

(क) चिकित्सीय व्यय :

1-11-1994 को और उस तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट वेतन परास में किसी अधिकारी और उसके कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति स्वयं अधिकारी के ही इस प्रमाण पत्र के आधार पर कि उसे ऐसा व्यय उपगत किया है, जिसके समर्थन स्वरूप दावाकृत रकमों के लिए लेखा विवरण दिया जाएगा, सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सीमा तक की जा सकेगी :—

सारणी

ग्रेड	वार्षिक प्रतिपूर्ति की सीमा
कनिष्ठ प्रबंधक तथा मध्यम प्रबंधक ग्रेड	1500/- रु.
ज्येष्ठ प्रबंधक तथा शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड	2000/- रु.

टिप्पणी :

(1) किसी अधिकारी को ऐसी चिकित्सीय सहायता का, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, किसी समय पर उपबंधित अधिकतम रकम के अधिक से अधिक तीन गुने तक संचित किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीनों अर्थात नवम्बर और दिसम्बर 1994 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी का कुटुम्ब केवल पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित संतान और पूर्णतया आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा ।

(ख) अस्पताल में भर्ती व्यय :

(1) 1-11-94 को या उस तारीख से अस्पताल में भर्ती प्रभारों की किसी अधिकारी की दशा में, 100 प्रतिशत तक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों की दशा में 75 प्रतिशत तक उन मामलों में प्रतिपूर्ति की जाएगी जिनमें अस्पताल में भर्ती किया जाना अपेक्षित है । बिलों, वाउचरों इत्यादि के आधार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमाओं के अध्यधीन होगी ।

(2) अधिकारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों से यथास्थिति, यह प्रत्याशा है कि वे सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल अर्थात किसी न्यास, पूर्त संस्था या धार्मिक मिशन के प्रबंधाधीन अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित प्राइवेट नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे । किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उस रकम तक निर्बन्धित होगी जिसकी उस दशा में प्रतिपूर्ति की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित अस्पतालों में से किसी में भर्ती किया जाता ।

(3) 1-11-1994 को या उस तारीख से निम्नलिखित बीमारियों, जिनके लिए आवासीय चिकित्सा आवश्यक है और जिन्हें मान्यता-प्राप्त अस्पताल प्राधिकारी और बैंक के चिकित्सा अधिकारी ऐसे प्रमाणित करते हैं, के लिए उठाए गए व्ययों को अस्पताल में भर्ती व्यय माना जाएगा और अधिकारियों के मामले में 100 प्रतिशत तक और उनके परिवार सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत तक प्रतिपूरित किया जाएगा :

कैन्सर, लुकेमिया, थलसीमिया, क्षयरोग, पैरेलिसिस, हृदय संबंधी बीमारी, कुष्ठ, गुरदे की बीमारी, एपिलेप्सी, पार्किन्सन्स बीमारी, मनोविकृति संबंधी रोग और मधुमेह ।

नोट : घर पर ही किये जाने वाले उपचार में दवाइयों आदि की कीमत की प्रतिपूर्ति विशेषज्ञ द्वारा उल्लिखित समयावधि के लिए ही की जाएगी । यदि समयावधि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो प्रतिपूर्ति अधिकतम 90 दिनों तक की जाएगी ।

(2) ऊपर उपनियम (1) में सूचीबद्ध चिकित्सीय फायदों के (जिनके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होना आदि भी है) होते हुए भी और उनके पूर्ण प्रतिस्थापन में, बोर्ड उन चिकित्सीय फायदों को (जिनके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होना आदि भी है) जो नियत तारीख को बैंक में उपलब्ध हैं, अपरिवर्तित रूप में प्रतिधारित करने का विनिश्चय कर सकेगा और यदि बोर्ड ऐसा विनिश्चय करता है, तो सभी अधिकारी उन निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे जो नियत तारीख को चिकित्सीय फायदों की (जिनके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होना आदि भी है) मंजूरी के लिए बैंक में प्रचलित थी ।

(3) वे अधिकारी जो कि निबंधाधीन हैं भी चिकित्सीय सहायता एवं अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा के लिए अनुमत हैं ।

8. मुख्य विनियमों में विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :—

25. कोई भी अधिकारी अधिकार के रूप में, बैंक द्वारा निवास स्थान दिए जाने का हकदार नहीं होगा । किन्तु 1-11-1994 को और उस तारीख से बैंक, अधिकारी द्वारा अपने वेतन जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण के वेतन के 4 प्रतिशत या निवास स्थान का मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, संदाय करने पर निवास स्थान की व्यवस्था कर सकेगा ।

परन्तु ऐसे निवास स्थान पर फर्नीचर दिया जाए तो अधिकारी से उसके वेतन जिसमें उसे रखा गया है, के पहले चरण के वेतन की 1 प्रतिशत की वसूली की जाएगी ।

परन्तु आगे यह कि जहां बैंक ने ऐसे निवास स्थान की व्यवस्था की है, वहां विद्युत, जल, गैस और सफाई के लिए प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

9. मुख्य विनियमों में विनियम 41 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :—

41(4) 1-6-1995 को और उस तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उपवर्णित ग्रेडों/वेतनमान का कोई अधिकारी स्तम्भ 2 में उपवर्णित तत्स्थानी दरों पर विराम भत्ते का हकदार होगा :

दैनिक भत्ता (रुपए)

अधिकारियों के ग्रेड/वेतनमान	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
वेतनमान 4 और उससे अधिक वेतनमान के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान 1, 2, 3 के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परन्तु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटे से अधिक है, तो विराम भत्ता उपर्युक्त दरों पर संदेय होगा।

(ख) विभिन्न ग्रेड/वेतनमानों के अधिकारियों को वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, आई टी डी सी होटल में एक रूम की आवास व्यवस्था का प्रभार निम्नलिखित सीमा के अनुसार प्रतिबंधित होगा :

भोजन व्यवस्था प्रभार (रुपए)

अधिकारियों के ग्रेड वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान 6 व 7	4* होटल	250	200	175
वेतनमान 4 व 5	3* होटल	250	200	175
वेतनमान 2 व 3	2* होटल (अ० वा०)	200	175	150
वेतनमान 1	1* होटल (अ० वा०)	200	175	150

(ग) बोर्ड सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त परन्तुक (ख) में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त सीमा को प्रतिपूर्ति निर्धारित कर सकता है।

(घ) जहां किसी विराम स्थान पर बोर्ड की लागत पर/बोर्ड के जरिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 3/4 अनुज्ञेय होगा।

(ङ) जहां किसी विराम स्थान पर बोर्ड की लागत पर बोर्ड के जरिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम का 1/2 अनुज्ञेय होगा।

(च) जहां किसी विराम स्थान पर बोर्ड की लागत पर/बोर्ड के जरिए निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/4 अनुज्ञेय होगा। फिर भी, जहां कोई अधिकारी वास्तविक रूप से उठाए गए व्यय के लिए बिल प्रस्तुत किए बिना घोषणा के आधार पर भोजन व्यवस्था व्यय का दावा करता है, वहां वह विराम भत्ते के 1/4 के लिए पात्र नहीं होगा।

(छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण कार्य पर मुख्यालय से बाहर विराम के लिए प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से अनुपूरक दैनिक भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका पश्चातवर्ती भाग अभिप्रेत है, जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में, स्थान के लिए रिपोर्ट करने के समय से, और अन्य दशाओं में स्थान के अनुसूचित समय से पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

10. मुख्य विनियमों में विनियम 42 के उप विनियम 2(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

42.2 (1) 1-7-93 को या उस तारीख से स्थानांतरण पर अधिकारी को माल गाडी द्वारा अपने सामान के परिवहन के लिए व्यय की निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वेतन परास		
4250/– रु० प्र० मा० से 6210/– रु० प्र० मा० तक	3000 किलोग्राम	1000 किलोग्राम
6211/– रु० प्र० मा० और उससे अधिक	पूरा वैगन	2000 किलोग्राम

2. मुख्य विनियमों में विनियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :

45. भविष्य निधि और पेंशन

(1) प्रत्येक अधिकारी, जब तक कि वह बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का पहले ही सदस्य न हो, उस भविष्य निधि का सदस्य बनेगा और ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों से आबद्ध होने के लिए करार करेगा ।

(2) इस संबंध में बनाए गए भविष्य निधि नियम 1-11-1993 को और उस तारीख से निम्नलिखित की व्यवस्था करेंगे :—

(क) पेंशन योजना द्वारा शासित किसी अधिकारी के मामले में अधिकारी द्वारा भविष्य निधि को अभिदाय केवल उनके वेतन के 10% की दर पर, बैंक की ओर से किसी बराबरी अभिदाय के बिना देय होगा । परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 तक की अवधि के लिए पहले ही किए गए भविष्य निधि अभिदाय के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

(ख) पेंशन योजना द्वारा शामिल न होने वाले किसी अधिकारी के मामले में अधिकारी द्वारा भविष्य निधि को अभिदाय और बैंक द्वारा उसके बराबरी अभिदाय वेतन के 10% की दर पर किया जाएगा ।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 तक की अवधि के लिए पहले ही किए गए भविष्य निधि अभिदाय के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

(3) 29-9-1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे ।

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के अधिकारी पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं होंगे :—

(क) कोई अधिकारी जो 29-9-1995 के पहले बैंक में सेवारत था, जब तक कि उन्होंने पेंशन योजना में सदस्य बनने के लिए उस आशय के बैंक की सूचना के जवाब में निर्दिष्ट रूप से विकल्प का प्रयोग न किया हो ।

(ख) कोई अधिकारी जो 35 वर्ष और उस से अधिक आयु पर 29-9-1995 को या उसके बाद भर्ती किए गए हो और जिन्होंने पेंशन योजना के अनुसार अपने अधिकार को त्यागने का विकल्प किया हो ।

नोट :

भविष्य निधि के प्रयोजनार्थ "वेतन" का अभिप्रेत मूल वेतन से है जिसमें अवरुद्धभत्ता, वेतन वृद्धिधर्या, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक योग्यता भत्ता और निश्चित वैयक्तिक भत्ते का वेतन-वृद्धि घटक सम्मिलित है ।

12. मुख्य विनियमों में विनियम 46 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्—

46. उपदान : (1) प्रत्येक अधिकारी निम्नलिखित पर उपदान के लिए पात्र होगा :—

(क) सेवानिवृत्ति

(ख) मृत्यु

(ग) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित ऐसी निःशक्तता जिससे वह आगे सेवा के लिए अनुपयुक्त हो गया हो;

(घ) दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात् पद-त्याग, या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दण्ड के रूप में छोड़कर किसी अन्य रूप में सेवा से बर्खास्तगी ।

(2) किसी अधिकारी को संदेय उपदान की रकम सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक मास का वेतन किन्तु अधिक से अधिक 15 मास का वेतन होगा ।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने तीस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में, तीस वर्ष से आगे सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे मास के वेतन की दर पर अतिरिक्त रकम के लिए पात्र होगा ।

परन्तु आगे ऐसे अधिकारी के उपदान के प्रयोजनार्थ जो 1-7-1993 से 31-10-1994 की अवधि के दौरान सेवा में न रहे, वेतन उस वेतनमान से संबंधित होगा जो विनियम 4 के उप विनियम (1) में निर्दिष्ट किया गया हो ।

नोट :

यदि सेवा का अंश पूरे किए गए वर्षों की सेवा से 6 माह या उससे अधिक हो तो उपदान उक्त अवधि के लिए आनुपातिक दर पर देय होगा ।

फुट नोट : उपर्युक्त विनियमों में इसके पूर्व किए गए संशोधन दिनांक 17-8-96 की अधिसूचना सं 33 के जरिए राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

ह. अपठनीय

सहायक महा प्रबन्धक

यूको इण्डियन बैंक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

केन्द्रीय कार्यालय

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 27 नवम्बर 1996

सं. पी-4/1(3)90/आर आर—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 (घ) की उपधारा 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आयुक्त) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आयुक्त भर्ती (संशोधित नियम, 1996) कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आयुक्त) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-1) (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने :—

(क) कालम संख्या 9 में "2 वर्ष" शब्दों में के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए,

"सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए एक वर्ष"

(ख) कालम संख्या 2 के सामने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित/जोड़ा जायेगा :—

(1) उप कालम संख्या (1) में "6 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "5 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(2) उप कालम संख्या (2) में "8 वर्ष" शब्दों के स्थान पर 7 वर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(3) नोट 2 के नीचे नोट 3 के नये प्रावधान के रूप में शामिल किया जायेगा, अर्थात :—

नोट 4 ? पदोन्नति के लिये फीडर काडर से संबंधित अधिकारी

(1) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक

(2) प्रवर्तन अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी तथा अधीक्षक जो इन संशोधन नियमों की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 29-2-1992 को उक्त ग्रेड में नियमित हुए हैं, उनको कालम 8 में निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ।

भर्ती नियम से संबद्ध अनुसूची के फोरमेट में तबदीली के परिणामस्वरूप कालम 14 की अनुसूची एतद्द्वारा अधिसूचित होगी ।

आर. एस. कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

पाद टिप्पणी :

(1) सा. का. नि. संख्या 1283 के द्वारा भारत के राजपत्र के दिनांक 20-8-96 को भाग-2, धारा 3 उपधारा (1) में प्रकाशित मूल नियम निम्नलिखित के द्वारा नियमों को संशोधित किया गया ।

(2) सा. का. नि. 219, भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3, उपधारा (1) में दिनांक 18-2-1967 को प्रकाशित ।

(3) सा. का. नि. 1429, भारत के राजपत्र के भाग-2 धारा 3, उपधारा (1) में दिनांक 14-10-1967 को प्रकाशित ।

(4) सा. का. नि. 807 भारत के राजपत्र के भाग-2 धारा 3 उपधारा (1) दिनांक 29-5-1971 को प्रकाशित ।

(5) सा. का. नि. 1818, भारत के राजपत्र के भाग-2 धारा 3 उपधारा (1) दिनांक 4-12-1971 को प्रकाशित ।

(6) सा. का. नि. 503 भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3, उपधारा (1) दिनांक 29-4-1972 को प्रकाशित ।

(7) सा. का. नि. 2590 भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3, उपधारा (1) दिनांक 25-10-1975 को प्रकाशित ।

(8) सा. का. नि. 1428 भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3, उपधारा (1), दिनांक 2-10-1976 को प्रकाशित ।

(9) सा. का. नि. 444, भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3 उपधारा (1) दिनांक 11-6-1983 को प्रकाशित ।

(10) सा. का. नि. 634, भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3 उपधारा (1) दिनांक 23-11-1984 को प्रकाशित ।

(11) सा. का. नि. 896, भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3, उपधारा (1) दिनांक 21-9-1985 को प्रकाशित ।

(12) सा. का. नि. 256, भारत के राजपत्र के भाग-2, धारा 3, उपधारा (1) दिनांक 28-9-96 को प्रकाशित ।

(13) अधिसूचना संख्या पी-4/1(6)/89 भारत के राजपत्र के भाग-3, धारा 4 दिनांक 11-1-95 को प्रकाशित ।

(14) अधिसूचना संख्या पी-41(6)/90 भारत के राजपत्र के भाग-3, धारा 4 दिनांक 29-2-92 को प्रकाशित ।

(15) अधिसूचना संख्या पी-4/1(6)/90 भारत के राजपत्र के भाग-3, धारा 4 दिनांक 9-7-94 को प्रकाशित ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 26 नवम्बर 1996

सं. 2/1959/डी. एल. आई. /भाग-1/1440—जबकि अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, आर. एस. कांशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसके पश्चात् 'स्कीम' कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, आर. एस. कांशिक प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० दा ओरियन्ट साईंस प्रोजेक्ट्स वर्कशाप, अम्बाला कैण्ट	एच/आर/7	1-11-92 से 30-10-95	2/49/96/ डी० एल० आई०
2.	मै० चन्द्रा लक्ष्मी सेफ्टी ग्लास लि० सोलीं सोनीपत, हरियाणा	एच/आर/5680	1-1-94 से 31-12-96	2156/95/ डी० एल० आई०
3.	मै० श्याम टैलीकाम लि० 246 फेस-4 उद्योग विहार, गुड़गांव	एच/आर/6571	1-11-92 से 31-10-95	2155/95/ डी० एल० आई०
4.	मै० राईस ग्लोब इण्डस्ट्रीज लि० प्लाट नं० 2 खंडासा 38 कि० मी० स्टोन दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव (हरियाणा)	एच/आर/7874	1-7-95 से 30-6-98	2/51/95 डी० एल० आई०
5.	मै० डोगावा इण्डस्ट्रीयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०, डी-4, इण्डस्ट्रीयल एरिया, यमुना नगर, हरियाणा	एच/आर/408	1-6-92 से 30-5-95	2/50/95/ डी० एल० आई०
6.	मै० डी० सी० एम० टैक्सटाइल्स, हिसार	एच/आर/6159	1-5-93 से 30-4-96	2/47/95/ डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'नियोजक' कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियों को भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना के पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इसी स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

आर. एस. कौशिक
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

INDIAN BANK

CENTRAL OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Madras-600001, the 22nd November 1996

No. SRC/47/96.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the Indian Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Indian Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Regulations 4 of the Indian Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 (hereinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension".

(b) Under the heading "Major penalties" the clauses (e), (f), (g) and (h) shall be re-numbered as clause (g), (h), (i) and (j);

(c) Before the re-numbered clause (g) the following shall be inserted namely :—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(d) For the re-numbered clause (g) the following may be substituted namely :—

"(g) reduction to a lower grade of post".

3. In sub-regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4" may be substituted.

4. In sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets and figures "clauses (a) to (e) of regulation 4" may be substituted.

5. In the first proviso to sub-regulation (ii) of regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

6. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

NOTE :—Earlier amendments to Indian Bank Officers Employees' (Discipline and Appeal) Regulations were published in part III Section 4 of the Gazette of India as per details given below :

Sl. No.	Notification No.	Date
	19	13-5-89

Sd/- Illegible
Assistant General Manager
For Indian Bank

No. SRC/221/96.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India &

with the previous sanction of the Central Government herey makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Indian Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1996.

(2) Save as otherwise expressly provided in these Regulations, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as principal Regulations), for Regulation 4, the following may be substituted, namely :

4 (1) On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 6400—150—7000

Scale VI Rs. 5950—150—6550

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 5350—150—5950

Scale IV Rs. 4520—130—4910—140—5050—150—5350

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 4020—120—4260—130—4910
Scale II Rs. 3060—120—4260—130—4390

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 2100—120—4020

4 (2) On and from 1-7-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under :

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000

Scale VI Rs. 11450-300-12650

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 10450-250-11450

Scale IV Rs. 8970-230-9200-250-10450

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 8050-230-9200-250-9700
Scale II Rs. 6210-230-8740

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4 (3) Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

3. In principal Regulations, for Regulation 5, the following may be substituted, namely :—

5 (1) Subject to the provisions of Regulation 4(2), on and from 1-11-1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accure on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Ofilcers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 250/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1-11-1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

Explanation I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only on increment, for passing both parts of the said Examination.

Explanation II :

(a) On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	(i) Rs. 100/- p. m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both Parts of CAIIB	(i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs. 250/-p.m. after two years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

(b) On and from 1-11-1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both Parts of CAIIB	(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
	(ii) Rs. 300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

Note :

(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(ii) On and from 1-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3(a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note :

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service :

Increment Component	DA as on 1-11-1993	Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

NOTE :

(i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance drawn by the concerned officer employee when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(3) An officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the sclae.

4. In principal Regulations, for Regulation 21, the following may be substituted, namely :—

21(1) On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—
(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

21(2) On and from 1-7-1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the Quarterly average of the All India Average Working Class Consmuer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(a) 0.35% of 'pay' upto Rs. 4800/- plus,

(b) 0.29% of 'pay' above Rs. 4800/- to Rs. 7700/- plus,

(c) 0.17% of 'pay' above Rs. 7700/- to Rs. 8200/- plus,

(d) 0.09% of 'pay' above Rs. 8200/-

Note :

(i) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance with effect from 1-11-1994.

5. In principal Regulations, for sub-regulation (1) and (2) of Regulation 22, the following may be substituted, namely,

22(1) Where an officer is provided with residential accommodation by the bank, on and from 1-11-1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1-11-1992 for House Rent Allowance at the following rates :—

Provided that if an officer produces a rent receipt the House Rent Allowance payable to him shall be actual rent paid by him for hi sersidn liaet etaoin for th shrdl recommen- paid by him for his residential accommodation in excess over 4— of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10½% of the pay p.m.
(iv) Area III	9½% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt the House Rent Allowance payable to him shall be actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the final stage of the scale of pay in which he is placed or of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower

Note :

(i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 1-7-1993.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 1-11-1994.

6. In principal Regulations, for sub-regulation (i) of Regulation 23, the following may be substituted, namely :—

23(i) On and from 1-11-1993, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month.

7. In principal Regulations, for Regulation 24, the following may be substituted, namely :—

24(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) Medical Expenses

On and from 1-11-1994 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :—

TABLE

Grade	Reimbursement limit p.a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2000/-

Note :

(i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December 1994.

Explanation :

'Family' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-11-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100— in case of an officer and 75% in the case of his family members :—

Cancer, Leukaemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes.

Note : The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered for medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.).

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

8. In principal Regulations, for Regulation 25, the following may be substituted, namely :—

25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the bank. It shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1-11-1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

Provided that a further sum equal to 1% of basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

9. In principal Regulations, for sub-regulation (4) of Regulation 41, the following may be substituted, namely :—

41. (4) On and from 1-6-1995 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees) Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2	3	4
Officers in Scale I and above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that—

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in Hotels, subject to the limits as given below :

Grades/Scales of Officers	Eligibility to stay	Boarding Charges (Rupees) Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00
Scale I	1* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

(c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government.

(d) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each peroid of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of, air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

10. In principal Regulations, for sub-regulation 2(i) of Regulation 42, the following may be substituted, namely :—

42.(2) (i) On and from 1-7-1993 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/-p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 6211/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

11. In principal Regulations, for Regulation 45, the following may be substituted, namely :—

45. Provident Fund and Pension :—

(1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1-11-1993 —

(a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(3) Officers joining the bank's service on or after 29-9-1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme :

(a) an officer who was in service of the bank prior to 29-9-1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.

(b) an officer who is recruited on or after 29-9-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note : 'Pay for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including Stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

12. In principal Regulations, for Regulation 46, the following may be substituted, namely :—

46. Gratuity :

(1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

(a) retirement

(b) death

(c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank;

(d) resignation after completing ten years of continuous service; or

(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1-7-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

Note :

If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification No. 33, dated 17-8-1996.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 11th November 1996

CORRIGENDUM

No. A-12(11)-5/91-E-I(A).—In notification No. A-12(11)-5/91-E-I(A) dated 17-9-96 published in Gazette of India (Part-III-Sec.4) No. 38 dated 21-9-96 the following shall be corrected/substituted.

On Page 4613 of the Gazette

1. Under Column 13 of the schedule the word "whether" shall be read as "member".

2. In the Heading of Column 8 of the Schedule the word "regd." shall be read as "reqd."

S. K. SHARMA, Director General.

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION CENTRAL OFFICE

New Delhi-110066, the 27th November 1996

No. P-IV/1(3)/90/RR.—In exercise of the powers conferred by sub-section 7(a) of Section 5(D) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Fund Organisation (Commissioners) Recruitment Rules, 1966 namely—

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Commissioners) Recruitment (Amendment Rules, 1966).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the schedule to the Employees' Provident Fund Organisation (Commissioners) Recruitment Rules, 1966 :— against serial number 5 relating to Assistant Provident Fund Commissioner (Gr. 1) (Headquarters & Regional Offices).

(a) Under Column number 9 the words "2 years" may be substituted as follows;

"1 year for Direct Recruits & promotees".

(b) against column number 11 the following substitution/addition shall be made :—

(i) against the words 'six years' appearing in Sub-Col. No. (i) the words 'five years' shall be substituted.

(ii) against the words 'eight years' appearing in Sub-Col. No. (ii), the words 'seven years' shall be substituted.

(iii) New provision as Note 3 below Note 2 shall be incorporated namely :—

Note (4) : The officials belonging to the feeder grades for promotion, namely:

(i) Senior personal Assistant

(ii) Enforcement Officer/Assistant Accounts Officers and Superintendent; who are regularly, appointed to the said grades as on the date of notification of these Amendment rules namely 29-2-1992 shall not be required to have the qualification prescribed under Col. 8.

Consequent on change of the format of the Schedule attached to the Recruitment Rules, the 14 columns of the Schedule will be as notified herewith.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner
and
Secy., Central Board of Trustees,
Employees Provident Fund.

Foot Note :

1. Original rules published in Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-Section (i) dated 20-8-1966 vide GSR No. 1283.

RULES AMENDED VIDE

2. GSR No. 219, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 18-2-1967.

3. GSR No. 1429, published in Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated 14-10-1967.

4. GSR No. 807 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 29-5-1971.

5. GSR No. 1818 published in Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 4-12-1971.

6. GSR No. 508 published in Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 29-4-1972.

7. GSR No. 2590 published in Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 25-10-1975.

8. GSR No. 1428 published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated 2-10-1976.

9. GSR No. 444, published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) dated 11-6-1983.

10. GSR No. 634, published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) dated 23-11-1984.

11. GSR No. 896, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 21-9-1985.

12. GSR No. 256, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 28-9-1986.

13. Notification No. P-IV/1(6)/89 published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 11-1-1991.

14. Notification No. P-IV/1(6)/90/RR published in Gazette of India, Part III, Section 4 dated 29-2-1992.

15. Notification No. P-IV/(6)/90/RR published in Gazette of India, Part III, Section 4 on 9-7-1994.

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110015, the 14th November 1996

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1440.—WHEREAS the employers of the estts. mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

And Whereas, I. R. S. KAUSHIK, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corpora-

tion of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, R. S. KAUSHIK, hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Faridabad from the operation of the said scheme for a perior of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of exemption	CPFC's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. The Oriental Science Apparatus work-shop, Ambala Cantt.	HR/7	01-11-92 to 30-10-95	2/49/96/DLI
2.	M/s. Chandra Laxmi safty. Glass Ltd., Sauli Sonipat, Haryana.	HR/5680	01-01-94 to 31-12-96	2/56/95/DLI
3.	M/s. Shyam Telecon Ltd., 246, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon	HR/6571	01-11-92 to 31-10-95	2/53/95/DLI
4.	M/s. Rice Auto Industries Ltd., Plot No. 2, Khandsa 38, K.M. Stone Delhi Jaipur Road, Gurgaon, Haryana.	HR/7874	01-7-95 to 30-06-98	2/51/95/DLI
5.	M/s. Doaba Industrial and Trading Company Pvt. Ltd., E-4, Industrial Area, Yamuna Nagar, Haryana	HR/408	01-05-92 to 30-05-95	2/50/95/DLI
6.	M/s. D.C.M. Textiles, Hissar	HR/6159	01-05-93 to 30-04-96	2/47/95/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (3) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employee.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insuarnce Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996